

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) सहमति/असहमति हेतु प्रपत्र-

वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम -

कार्मिक का नाम -

पिता का नाम -

मूल पद -

मूल विषय -

कार्मिक की जन्म तिथि -

मो.न.-

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय
अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम Application No -

क्या आप राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग लेकर अपना जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) करवाना चाहते हैं ?

1. नहीं (इस विकल्प का चयन करने पर आपको जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा तथा आप वर्तमान में कार्यरत जिला एवं विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे तथा आप कभी भी जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में आपकी सहमति उपरान्त शामिल नहीं किये जाने के लिए कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

- कार्मिक धोषणा -

मैं..... पुत्र/पुत्रीश्री..... घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग नहीं लेकर अपना जिला आवटन रिशफल (अपग्रेड) नहीं करवाना चाहता/चाहती हूँ।

सम्बन्धित पीईईओ के हस्ताक्षर यम मोहर
स्थान - दिनांक -

कार्मिक के हस्ताक्षर
कार्मिक का नाम

नोट - इस प्रकार की सूचना पीईईओ लॉगिन द्वारा भरवाया जाना है तथा पीईईओ के मोबाईल पर भेजे गये ओटीपी द्वारा वेरीफाई लॉक किया जाना है। साइंड कॉपी पीईईओ कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना है।

जिलाबदल असहमति हेतु आवेदन प्रारूप

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) सहमति/असहमति हेतु प्रपत्र -

वर्तमान पद स्थापित विद्यालय का नाम -

कार्मिक का नाम -

पिता का नाम -

मूल पद -

मूल विषय -

कार्मिक की जन्म तिथि -

मो.न. -

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम Application No. -

क्या आप राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग लेकर अपना जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) करवाना चाहते हैं? -

1. नहीं (इस विकल्प का चयन करने पर आपको को जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा तथा आप वर्तमान में कार्यरत जिला एवं विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे तथा आप कभी भी जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में आपकी सहमति उपरान्त शामिल नहीं किये जाने के लिए कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

-कार्मिक घोषणा -

मैं पुत्र श्री घोषण करता हू कि मैं राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) प्रक्रिया में भाग नहीं लेकर अपना जिला आवंटन रिशफल (अपग्रेड) नहीं करवाना चाहता/चाहती हूँ

संबंधित पीईईओ के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्मिक के हस्ताक्षर

स्थान-दिनांक -

कार्मिक का नाम

नोट - इस प्रकार की सूचना, पीईईओ लॉगिन द्वारा भरवाया जाना है तथा पीईईओ के मोबाईल पर भेजे गये ओटीपी द्वारा वेंरीफाई व लॉक किया जाना है। साईड कौपी पीईईओ कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना है।

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिदिश-प्रार/नियुक्ति/नि-2/TGT/802/(35)/2017-18

दिनांक: 09/04/2019

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),

प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।

विषय—राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तरीय श्रेणी अभ्यापक सौधी भर्ती-2018 लेवल-प्रथम के पदों पर कार्यप्रहण कर चुके अभ्यर्थियों से आगामी जिला रिक्तता प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी असहमति प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करने बाबत।

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि उक्त शिक्षा भर्ती-2018 लेवल-प्रथम के पदों पर वर्णित पात्र अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा विभाग के प्रिन्सिपल विद्यालयों में कार्यप्रहण किया गया है, उक्त भर्ती अनर्गत इस्तेमाल सत्यापन में अनुपस्थित, अपत्र एवं कार्यप्रहण नहीं करने वाले रिक्त रहे पदों पर घयन रिक्तता/आवृत्त सूची जारी करने संबंधी कार्यवाही विभाग स्तर पर प्रक्रियामय है। घयन रिक्तता/प्रतिष्ठा सूची जारी करने के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट अनुसार जिलों का पुनः अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

अतः उक्त भर्ती अनर्गत लेवल-प्रथम के पदों पर कार्यप्रहण कर चुके अभ्यर्थियों की सूचनाएँ प्राप्त की थी, जिसके अनुसार कुल 18248 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यप्रहण किया गया है, शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार कुल 17982 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यप्रहण किया गया है। उक्तानुसार ऑफलाईन रूप से प्राप्त सूचना एवं शाला दर्पण पोर्टल की सूचना में भिन्नता है, अतः आप अपने जिले में कार्यप्रहण कर चुके अभ्यर्थियों की सूचना का पुनः अपलोड कर कार्यप्रहण कर चुके समस्त अभ्यर्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर 3 दिवस में अनिवार्य रूप अपडेट करें।

अतः आपके जिले के समस्त पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(पीईईओ) द्वारा पंचायत मुख्यालय के संस्था प्रधानों तथा माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधानों को साबन्दा करावे कि वे उनके अधीनस्थ विद्यालयों/एचए के विद्यालयों में शिक्षा भर्ती-2018 अनर्गत लेवल-प्रथम के पद पर नगरघरनित अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप में इच्छुक अभ्यर्थियों से जो जिला रिक्तता प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं, उनसे असहमति का विकल्प लेकर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्नित करावे—

1. शिक्षा भर्ती-2018 लेवल-प्रथम अनर्गत कार्यप्रहण कर चुके अभ्यर्थी जो जिला आगामी जिला रिक्तता प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं केवल उनसे ही विकल्प प्राप्त कर इसका एक पृष्ठक से रजिस्टर संघारित करते हुए विकल्प पत्र को अपने रिक्तताई में सुरक्षित रखवा है।
2. जो अभ्यर्थी आगामी रिक्तता प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई विकल्प प्राप्त नहीं किया जाना है।
3. शाला दर्पण पोर्टल पर लॉग-इन कर निर्धारित मोड्यूल में केवल अभ्यर्थियों द्वारा जिला रिक्तता प्रक्रिया में भाग नहीं लेने बाबत दी गई असहमति को ही दर्ज करना है, शेष अभ्यर्थियों के संबंध में स्वतः ही यह मान लिया जावेगा कि वे जिला रिक्तता प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं।
4. शाला दर्पण पोर्टल पर असहमति की सूचना प्रविष्टि कर अनिवार्य रूप से लॉक किया जाना है।
5. इच्छुक अभ्यर्थियों से असहमति का विकल्प प्राप्त कर दिनांक 15.04.2019 को सांठ 8.00 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना अनिवार्य रूप से लॉक कर देंगे। उक्त निर्धारित दिनांक के पश्चात शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं होगी तथा संबंधित अभ्यर्थी की उक्त निर्धारित दिनांक/समय तक पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं करने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधानों के विरुद्ध अनुशासनत्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समय पर सम्पन्नित करने एवं इसकी मोनेटरिंग हेतु आपके कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को नॉडल अधिकारी नियुक्ति करें तथा निर्धारित समय पर सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्नित करने की समस्त जिम्मेदारी नॉडल अधिकारी की रहेगी।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्र.शिक्ष.)विभाग राजस्थान
बीकानेर

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विधिपत्र सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वातंत्र्य प्रभाव) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज, जयपुर।
4. उपसचिव (शाला दर्पण पोर्टल), स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. मुख्य कार्यवाही अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्र.शिक्ष.)विभाग राजस्थान
बीकानेर

मित्रों 2018 भर्ती वाले सभी L-1 को अवसर है। जो वर्तमान जिले में ही कार्यरत रहना चाहते हैं, उन्हें असहमति प्रारूप भरकर पीईईओ को देना है। जिला बदलना है तो नहीं भरना है। - महेंद्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ